

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

पत्रांक :-आर०(एस०बी०टी०ई०) 01/2011 पार्ट-03-4229

/पटना, दिनांक :-18.10.2019

प्रेषक,

डॉ० श्रीभगवान सिंह,
सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
टेक्नोलॉजी भवन, पटना-15

सेवा में,

प्राचार्य,
जे०पी० इन्स्टीच्युट ऑफ टेक्नोलॉजी,
बिहारशरीफ, नालन्दा।


विषय :- सत्र-2019-20 के लिए संबद्धन विस्तार (**Extension of Affiliation**) के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-215/JPIT/019, दिनांक-15/10/2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रसांगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि **C.W.J.C. No-14378 of 2019** में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-13/09/2019 को पारित आदेश के अनुपालन में ए०आई०सी०टी०ई०, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र **Extension of Approval** के आलोक में मात्र सत्र-2019-20 के लिए औपबंधिक संबद्धन अवधि का विस्तार किया जाता है। सूचनार्थ।

विश्वासभाजन,


सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।
18.10.19